



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22122022-241279
CG-DL-W-22122022-241279

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 20—अग्रहायण 26, 1944
No. 46] NEW DELHI, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 20—AGRAHAYANA 26, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो)
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान में उप पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण/अनुदेशक) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान उप पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण/अनुदेशक), भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन:- ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को अनुसूची में वर्णित पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के अधीन नियुक्ति किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त प्रवर्तन की तारीख से पहले उक्त पद पर की गई सेवा की अगले उच्चतर श्रेणी में, परीवीक्षा, ज्येष्ठता, पेंशनिक फायदे और पात्रता की उनकी प्रोन्नति के लिए अवधि विनिश्चित करने के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि:- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - कोई ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

6. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण/अनुदेशक)।	20* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -9 (53,100-1,67,800/- ₹.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे स्तर जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य-क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 8 (47,600 - 151,100/- रु.) में उस पद में दो वर्ष की नियमित सेवा की हों; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) अन्वेषण / विधि/ न्यायालयिक जाँच/ अभियोजन/ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार उसे या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/97/2022-बीपीआरएंडडी]

डब्ल्यू. हिटलर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Bureau of Police Research and Development)**

New Delhi, the 13th December, 2022

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police (Training/Instructor) in the Central Detective Training Institutes, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development, Central Detective Training Institutes, Deputy Superintendent of Police (Training/Instructor), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.— The persons holding the post mentioned in the Schedule on the date of commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualifications. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in consultation with the Commission with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level of pay in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Superintendent of Police (Training/Instructor).	20*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay level 9 (Rs. 53,100-167800/-) of Pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable..	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption level from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation.	Officers under the Central or State Governments or Union territories: (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or (ii) with two years regular service in the posts in pay level 8 (Rs. 47,600 – 151,100/-) of the Pay Matrix and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelors degree from a recognised University/Institution, and (ii) having three years experience in the field of training in investigation/ Law/ Forensic Examination/ Prosecution/ Information Technology.	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

	Note:- Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--

[F.No. 23011/97/2022-BPR&D]

W. HITLER, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली दृष्टिमिति अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दृष्टिमिति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दृष्टिमिति अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दृष्टिमिति अधिकारी	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600 -151100/-रुपये)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और सुसंगत क्षेत्र में विभाग या मंत्रालय द्वारा यथाविहित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ऑप्टोमेट्री में बैचलर डिग्री। (ii) सौ बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान में ऑप्टोमेट्री में दो वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - अध्यक्ष; (ii) संबंधित विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - सदस्य; (iii) उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iv) उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. ए.11018/31/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 13th December, 2022

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Optometry Officer (Group 'B' post) Recruitment, Rules 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Optometry Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Optometry Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optometry Officer.	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-08 (47600-151100/-) in the pay matrix.	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Promotion failing which by deputation	Promotion: Senior Optometrist in Level- 7 of the pay -matrix (44900-142400/-) with two years regular service in the grade and having successful completion of training of 2-4 weeks in the relevant field to be prescribed by the Department or Ministry. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories; A.(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

	(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7(44900-142400/-) or equivalent in the parent cadre or department: and (b) possessing the following educational qualification and experience; (i) Bachelor's Degree in Optometry from a recognised University or Institute. (ii) Two years' experience in Optometry in a hundred bedded Government hospital or recognised research institute. Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' , Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairman; (ii) Head of the concerned Department , Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member; (iii) Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member; (iv) Deputy Director Administration, Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on Deputation basis.

[F. No. A.11018/31/2019-MH.II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुछ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहां तक इसका संबंध प्रधान लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय कुछ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपेट में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुछ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपेट, प्रधान लिपिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान लिपिक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो तथा विभाग द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

		टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200-92,300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) प्रशासन या स्थापन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

			प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उप-निदेशक (अस्थि विज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (शल्यक), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक (कुष्ठ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक, (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/47/2019-कुष्ठ]

मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव

New Delhi, the 13th December, 2022.

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Head Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Head Clerk (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection-post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Clerk.	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Upper Division Clerk in level-4 in the pay matrix having ten years' regular service in the grade; and successfully completed 2-4 weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying two years eligibility service.

	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) having ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification and experience: (i) Bachelor Degree from any recognized University or Institute. (ii) Two years experience in Administration or Establishment. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of - 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director(Orthopaedic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 3. Assistant Director(Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member; 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Additional Director General, Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Deputy Director General (Leprosy), Directorate. General of Health Services - Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Service - Member; 4. Director (Administration), Directorate General of Health Services - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/47/2019-Lep.]

MANOJ KUMAR UPADHYAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह-‘घ’ पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध मशीन ऑपरेटर (लॉन्ड्री) और लॉन्ड्री अटेंडेंट के पदों से है, (ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (बॉयलर अटेंडेंट), भर्ती नियम, 1985, और (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (लॉन्ड्री पर्यवेक्षक) (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर सहायक और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर, बॉयलर सहायक और लॉन्ड्री पर्यवेक्षक, (समूह ‘ग’ पद), भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कनिष्ठ लॉन्ड्री ऑपरेटर	19*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ग’, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिशियन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। वांछनीय: किसी बड़े संगठन की लॉन्ट्री में बॉयलर संचालन का छह माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

	2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य;	
	3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. बॉयलर सहायक	3* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	अचयन

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे कनिष्ठ लॉन्ट्री ऑपरेटर में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/-रुपये) में ग्यारह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समकक्ष संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिशियन में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम। (iii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बॉयलर संचालन में प्रमाण-पत्र। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयके चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; 3. उप निदेशक(प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. लॉन्ड्री पर्यवेक्षक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92300/-रुपए)	अचयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे बॉयलर सहायक में से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/-रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- - उप प्राचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष; - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक -सदस्य; - उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/28/2017-एमएच II (भाग)]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 2022

G.S.R. 196.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Lady Hardings Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital (Group-'D' Posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the posts of Machine Operator (Laundry) and Laundry Attendant (ii) the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Boiler Attendant), Recruitment Rules, 1985 (iii) the Lady Harding Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Laundry

Supervisor) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Junior Laundry Operator, Boiler Assistant and Laundry Supervisor in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Junior Laundry Operator, Boiler Assistant and Laundry Supervisor, (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** – The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Junior Laundry Operator	19* (2022) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-ministerial.	Level -1 (Rs. 18000-56900) in the pay-matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and up to forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed	(i) 10 th class pass from a recognised board; (ii) Certificate course in Electrician from the recognised Industrial Training Institute or equivalent Institute or University. Desirable : Six months working experience in operating Boiler in a Laundry of a large Organisation. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Deputy Director, in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Boiler Assistant	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- ministerial.	Level -4 (Rs. 25500 – 81100/-) in the pay–matrix.	Non -Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	100 % by Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Junior Laundry Operator working in the Lady Hardinge Medical College & Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with eleven years of regular service in Level-1 in the pay-matrix (Rs.18000–56900/-) and having the following qualifications:- (i) 10 th class pass of a recognised Board; (ii) Certificate course in Electrician of a recognised Industrial Training Institute or equivalent Institute or University ; and (iii) A Certificate in Operating Boiler from a recognised Institute or University. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Deputy Director, incharge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Laundry Supervisor	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-ministerial.	Level -5 (Rs. 29,200–92300/-) in the pay–matrix.	Non-Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from Boiler Assistant working in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with five years of regular service in Level-4 in the pay-matrix (Rs. 25500 – 81100/-).	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Vice Principal, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Chairman;	Not applicable.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	2. Deputy Director, in-charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services. -Member; 3. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital -Member.	
---	---	--

[F. No. A. 11018/28/2017-MH II(pt.)]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 12, दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 197.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1958 को, जहां तक कि उनका संबंध सहायक प्रयोगशाला भंडारी के पद से है, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (प्रयोगशाला भंडारी और ज्येष्ठ कारखाना भंडारी) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में भंडारी श्रेणी -1 और भंडारी श्रेणी -2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2), भर्ती नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) तक विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता :- वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध कराके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
भंडारी श्रेणी-1	(01)* 2022 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 4 (25,500-81,100 रुपये)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति (जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलेन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 2 (19900-63200 रु.) में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हैं:- और (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कोई कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वशासी निकाय, विश्वविद्यालय या, बैंक या भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट सेक्टर संगठन के भंडार या संस्था में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव अथवा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन विषय में स्नातक डिग्री।

टिप्पण 1.- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु०) में ऐसे विभागीय भंडारी श्रेणी 2 जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भर लिया गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2.- पोषक संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
भंडारी श्रेणी - 2	(01*) 2022 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर - 2 (19,900-63,200 रुपये)।

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य आहर्ताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिये 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप लद्दाख या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित है) या	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्वशासी निकाय/कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या बैंक या भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्राइवेट संगठन के भंडार या संस्था में भंडार संभालने और भंडार में लेखा रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1-अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2-अनुभव संबंधी अर्हता (अहर्ताएं), कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और

आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
---	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा- टिप्पण 1:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि तक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जायेगी जो, (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव है। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष; 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य; 3. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2017-एसए]

ज्योत्स्ना गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)**

New Delhi, the 12th December, 2022.

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Class III posts) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Assistant Laboratory Store Keeper, and the National Sugar Institute, Kanpur (Laboratory Store Keeper and Senior Factory Store Keeper) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II in the National Sugar Institute, Kanpur, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely : —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Store Keeper Grade-I.	(01)* 2022 * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25,500 – Rs. 81,100).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By Composite method: Deputation (including short-term contract) /promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Deputation (including short-term contract)/promotion: Officers under the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in Level-2 (Rs. 19,900 – Rs. 63,200) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) 12 th class pass from a recognised Board or University; and (ii) two years experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of the Central Government or State Government, or of any statutory organisation, public sector undertaking, autonomous body, University or Bank or in a private sector organisation listed on the stock exchange of the India; or Bachelor's degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute. Note 1.- The departmental Store Keeper Grade –II in level 2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled-up by promotion. Note 2.- The department officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3.- Period for deputation (including short-term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Store Keeper Grade-II.	(01)* 2022 * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900 – Rs. 63,200).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep); or The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Pass from a recognised Board or University; (ii) one year experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of the Central Government or State Government, or of any autonomous body, statutory organisation, public sector undertaking, or University or in any private organisation listed on a stock exchange of India. Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	Direct Recruitment. Note 1.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur – Chairperson; (2). Assistant Professor of Sugar Technology, National Sugar Institute, Kanpur – Member; (3). Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12018/1/2017-SA]

JYOTSNA GUPTA, Dy. Secy.